सेंटरः एक परिचय

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी एक स्वतंत्र, अलाभकारी शोध एवं शैक्षिक संगठन है, जो नागरिक समाज में नव शक्ति का संचार कर करोड़ों भारतवासियों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने की दिशा में प्रयत्नशील है। प्रतिभावान और मेहनती होने के बावजूद भारतवासी गरीबी और निराशा के अंधकार में जीने को अभिशप्त हैं, यही विरोधाभाष सेंटर की प्रेरणा का स्रोत है। हमारे काम करने का ढंग कुछ अनोखा है। हम प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सा केंद्र अथवा साफ-सफाई के कार्यक्र म नहीं चलाते, बल्कि शोध, संगोष्ठी और प्रकाषन के माध्यम से लोगों के विचार, मत और सोचने के तौर-तरीकों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं।

हम सीमित सरकार, कानून का शासन, मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा पूर्ण बाजार व्यवस्था के समर्थक हैं। ये सिद्धांत नागरिक समाज में शांति, समरसता और समृद्धि का संचार करने में सहायक हैं।

15 अगस्त, सन् 1947 को हम अंग्रेजों की दासता से तो मुक्त हो गये। अब अपने भारतीय स्वराज्य से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आजादी हासिल करने का प्रयास जारी है। इसी उद्देश्य से 15 अगस्त, 1997 को सेंटर की स्थापना की गयी थी।

नागरिक समाज क्या है

नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) से तात्पर्य विभिन्न संगठनों और संस्थानों के पारस्परिक संबंधों से उपजे एक व्यापक और विकासमान समाज से है, जिसके अंतर्गत पारिवारिक और सामुदायिक, आर्थिक और व्यापारिक, धर्मार्थ और सेवार्थ हर प्रकार के संगठन और संस्थान आते हैं। व्यक्ति इससे किसी दबाव में न जुड़ कर स्वेच्छा और कर्तव्य भाव से जुड़ता है। नागरिक समाज के मूल में है नागरिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी तथा सीमित और जवाबदेह सरकार का विचार। यह राज्य की दखलंदाजी से व्यक्ति की सुरक्षा करता है तथा उसे एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से जोड़ता है। नागरिक समुदाय ही है, जो व्यक्तिवाद को व्यक्तिकेंद्रित होने से तथा समुदायवाद को समष्टिवादी हाने से रोकता है। दूसरी ओर राजनीतिक समाज है, जो बल प्रयोग का कानूनी अधिकार रखता है। उसका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह नागरिक अधिकारों तथा कानून का शासन बनाए रख कर नागरिक समाज की सुरक्षा करे तथा इसके महत्त्व को किसी भी प्रकार कम न होने दे।

सामाजिक और राजनीतिक समाज के बीच संबंध

प्राथमिक जिम्मेदारी का सिद्धांत नागरिक और राजनीतिक समाज के कार्यक्षेत्रों तथा राजनीतिक समाज के तहत स्थानीय, प्रांतीय और संघीय सरकार के कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को सिर्फ वे कार्य अपने हाथ में लेने चाहिए, जो नागरिक समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के बल पर जनता स्वयं अपने हाथ में नहीं ले सकती। राज्य को दिये जाने वाले कार्य सर्वप्रथम स्थानीय सरकार को सौंपे जाने चाहिएं। जो कार्य

स्थानीय सरकार नहीं कर सकती है, वे प्रांतीय सरकार को दिये जाने चाहिए और जो कार्य प्रांतीय सरकार नहीं कर सकती, सिर्फ वे कार्य ही राज्य सरकार को सौंपे जाने चाहिएं। भारत में राजनीतिक समाज अर्थात् सरकारी संस्थाओं के अनियंत्रित विकास ने नागरिक समाज के सहज विकास को कुंठित किया है। आज राजनीतिक समाज पर पुनर्विचार और उसके पुनर्गठन की जरूरत है, तभी भारत आर्थिक समृद्धि, सामाजिक शांति और पारस्परिक विश्वास तथा वास्तविक राजनीतिक प्रजातंत्र का लक्ष्य हासिल कर पाएगा। नागरिक समाज केंद्रित विचार हमारे समक्ष एक साथ दो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इसके तहत एक ओर जहाँ हम सृजनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से नागरिक समाज के विभिन्न संस्थानों का निर्माण और पुनर्निर्माण करते हैं, वहीं काट-छाँट के द्वारा राजनीतिक समाज के आकार और कार्यों को तदनुरूप पूनर्व्यवस्थित करते हैं। दोनों ही कार्यक्रम समान रूप से विचारणीय हैं और उस पर एक साथ समग्रता से विचार होना चाहिए। राजनीतिक समाज के अनावश्यक तत्त्वों का सफाया कर नागरिक समाज के बीज बोये जाने चाहिए।

सहयोग

अपने उद्देश्य के अनुरूप ही सेंटर सिर्फ नागरिक समाज के संस्थानों और व्यक्तियों से ही सहयोग स्वीकार करता है।

शोध के विषय

क्लासिकल उदारवादी नीति के रूप में विकल्प प्रस्तुत करने के अपने मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सेंटर कई शोध गतिविधि चला रही है। शोधार्थी दल का नेतृत्त्व अध्यक्ष पार्थ जे शाह कर रहे हैं। सेंटर विभिन्न प्रतिष्ठित विद्वानों के शोध कार्यों को भी क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने का कार्य करती है। शोध के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं:

- जलवायु परिवर्तन
- विद्युत क्षेत्र की कानूनों से मुक्ति
- वन अतिक्रमण
- कानून, स्वतंत्रता और रोजी-रोटी
- समाज सेवा का प्रावधान: नागरिक समाज की भूमिका
- गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए: स्व नियमन या राज्य नियमन?
- जन्म से मृत्यु तक प्रमाणन
- रेडियो का निजीकरण
- पर्यावरणीय चिंता के लिए बाजार आधारित पहल
- आधारभूत ढाँचा के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका
- किसान और उपभोक्ता: बेहतर मध्यस्थ कौन राज्य अथवा बाजार?
- रोजगार का सृजन और सुरक्षा: श्रम बाजार की कानूनों से मुक्ति

- सरकारः वित्तीय बाजार का प्रबंधक अथवा पर्यवेक्षक
- भूमंडलीय बाजार में भारतः व्यापार का उदारीकरण
- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निगमीकरण और निजीकरण